RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १८] सोमवार, जून २९, २०१५/आषाढ ८, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगर विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित १५ जून २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ सन् २०१५।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १८८८ का ३ ।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १८८८ का ३। **२.** मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १४०क में, चतुर्थ परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— सन् १८८८ की धारा १४०क में संशोधन।

परंतु यह भी कि, १ अप्रैल २०१५ से प्रारम्भ होनेवाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए ४६.४५ वर्ग मिटर (५०० वर्ग फीट) या कम चटाई क्षेत्रवाले आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में उद्ग्रहणिय संपत्ति कर की रकम, ३१ मार्च २०१५ से ऐसे आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में जो उद्ग्रहित की जायेगी और देय संपत्ति कर की रकम अधिक नहीं होगी। "।

वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम ने, १ अप्रैल २०१० से भवनों तथा भूमियों के उनके पूंजीगत मूल्य के आधार पर बृहन्मुंबई में संपत्ति कर की उद्ग्रहण प्रणाली को अंगीकृत किया है।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १४०क का चतुर्थ परंतुक यह उपबंध करती है कि आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य के अंगीकृत वर्ष से प्रारम्भ होनेवाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए, धारा १४०क के अधीन संपत्ति कर के उद्ग्रहण के लिए ४६.४५ वर्ग मिटर (५०० वर्ग फीट) या कम चटाई क्षेत्र वाले आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में उद्ग्रहणिय संपत्ति कर की रकम आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य के अंगीकरण के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में, उद्ग्रहित और देय संपत्ति कर की रकम कम नहीं होगी। उक्त धारा १४०क की उप-धारा (१) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि, संपत्ति कर के आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य को निगम ने अंगीकृत करने के पश्चात्, किसी कराधेय भवन के संबंध में संपत्ति कर, प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात्, पुनरीक्षित की जाएगी और ऐसे प्रत्येक पुनरीक्षण पर संपत्ति कर की ऐसी रकम ऐसे पुनरीक्षण के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में उद्ग्रहित और देय संपत्ति कर के चालीस प्रतिशत से अधिक रकम किसी मामले में अधिक नहीं होगी। उक्त चतुर्थ परंतुक के उपबंधों की दृष्टि से, आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में संपत्ति कर के ४६.४५ वर्ग मिटर (५०० वर्ग फीट) का चटाई क्षेत्र होगा, संपत्ति कर के उद्ग्रहण के लिए आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य के अंगीकरण के दिनांक से पाँच वर्षों के अवसान की अवधि तक १ अप्रैल २०१५ से पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

२. राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि १ अप्रैल २०१५ से पूंजीगत मूल्य आधार पर संपत्ति कर के पुनरीक्षण के पश्चात्, संपत्ति कर जो सभी भवनों तथा भूमियों पर उद्ग्रहणीय और देय हैं वह ४० प्रतिशत बढाया जाएगा। यह भी सरकार के ध्यान में लाया गया है कि, लघु वासगृहों या आवासीय भवनों के अधिभोगी जो कि ऐसे लघु वासगृहों या आवासीय भवनों के नये अधिभोगी हैं वह ऐसे पुनरीक्षण द्वारा अधिक प्रभावित होने की संभावना है।

यह भी ध्यान में लाया गया है कि, राज्य सरकार तथा नगर निगम की विभिन्न योजनाओं के अधीन पहले से ही ज्यादातर ऐसे लघु आवासगृहों या आवासीय भवनों को विकसित किये जाने के कारण निम्नतर संपत्ति कर के लाभ को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है। मुंबई नगर निगम ने ऐसे लघु आवासगृहों या आवासीय भवनों को निम्नतर संपत्ति कर का लाभ दिलाने के लिए एक संकल्प भी पारित किया है। अतः उक्त प्रयोजन के लिए, उक्त अधिनियम की धारा १४०क में संशोधन करना आवश्यक हुआ है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १२ जून २०१५ ।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.